

भारत सरकार  
शिक्षा मंत्रालय  
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या:94  
उत्तर देने की तारीख:18.07.2022

व्यावसायिक शिक्षा

†94. श्री मोहनभाई कुंडारिया:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा का हब एंड स्पोक मॉडल आरंभ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) इस मॉडल के अंतर्गत गुजरात राज्य में जिले-वार कितने स्कूल स्थापित किए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार का विचार इस मॉडल के अंतर्गत हब स्कूलों के मौजूदा व्यावसायिक बुनियादी ढांचे का उपयोग पास के स्पोक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए करने का है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ): 'शिक्षा' संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में हैं। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग केंद्र प्रायोजित योजना 'समग्र शिक्षा' के तहत स्कूली शिक्षा के व्यवसायीकरण की योजना को क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य सभी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शैक्षणिक शिक्षा के साथ एकीकृत करना; छात्रों की रोजगार क्षमता और उद्यमिता क्षमताओं को बढ़ाना, काम के परिवेश का एक्सपोजर प्रदान करना; और छात्रों के बीच विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में जागरूकता पैदा करना है ताकि वे अपनी योग्यता, क्षमता और आकांक्षाओं के अनुसार विकल्प चुन सकें। इस योजना में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं।

इस योजना के तहत, व्यावसायिक शिक्षा का हब एंड स्पोक मॉडल पेश किया गया है जो 'स्पोक' स्कूलों में छात्रों की व्यावसायिक शिक्षा के लिए 'हब' स्कूलों में व्यावसायिक बुनियादी ढांचे के उपयोग का प्रावधान करता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी वार्षिक कार्य योजना और बजट में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, पर्याप्त व्यावसायिक बुनियादी ढांचे वाले स्कूल को 'हब' के रूप में और आसपास के स्कूलों को 'स्पोक' के रूप में नामित किया गया है। 'हब' स्कूलों की व्यावसायिक प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षकों का उपयोग 'स्पोक' स्कूलों के रूप में पहचाने गए स्कूलों के छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है।

इस योजना में उन 'हब' स्कूलों को, जहां प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, 5 लाख रुपये प्रति 'स्पोक' स्कूल का अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है, जिसका उपयोग प्रशिक्षकों/अतिरिक्त प्रशिक्षकों/कच्चे माल, नौकरी प्रशिक्षण आदि पर प्रोत्साहन की अतिरिक्त लागत को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इसमें 'स्पोक' स्कूल से 'हब' स्कूल तक छात्रों के परिवहन के लिए 'स्पोक' स्कूलों को प्रति वर्ष 3000 / - रुपये प्रति छात्र के अतिरिक्त अनुदान का भी प्रावधान है।

हब एंड स्पोक मॉडल की शुरुआत वर्ष 2021-22 से की गई थी। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी वार्षिक कार्य योजना और बजट में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1002 हब स्कूलों और 1038 स्पोक स्कूलों को मंजूरी दी गई है। इस विभाग को अभी तक गुजरात राज्य से व्यावसायिक शिक्षा के हब एंड स्पोक मॉडल के कार्यान्वयन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

\*\*\*\*\*